जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु के समक्ष

संतोष और अन्य-अपीलकर्ता *बनाम*

शमशेर सिंह और अन्य-प्रतिवादी **एफएओ संख्या 1305 ऑफ 2010**

अगस्त 31, 2018

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 173-स्कूल बस की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाना-मृतक की मोटरसाइकिल से टकराना-सिर में घातक चोट-5 महीने के बाद मृत्यु-दावा-आपराधिक मुकदमा नहीं, संभावनाओं की प्रधानता देखी जानी चाहिए-कोई पोस्टमार्टम परीक्षा नहीं-परिणामी-ट्रिब्यूनल-व्यावहारिक होना और मानवोचित।

माना जाता है कि अधिनियम के तहत एक दावा याचिका में, इसे आपराधिक मुकदमे की तरह नहीं माना जाना चाहिए, जहां उचित संदेह से परे आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है, बल्कि इन मामलों में, संभावनाओं की प्रधानता देखी जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मृतक को सिर की चोट सहित विभिन्न चोटों का सामना करना पड़ा और लगभग पांच महीने तक बिना किसी चूक के उसका लगातार इलाज चल रहा था और अंततः, मृत्यु हो गई, तो मृत्यु को आकस्मिक चोटों के साथ सुरक्षित रूप से सह-संबंधित किया जा सकता है क्योंकि दावा याचिका में, गलत कर्ता को दोषी नहीं ठहराया जाना है ट्रिब्यूनल। विद्वान ट्रिब्यूनल की यह टिप्पणी कि इस मामले में कोई पोस्टमार्टम परीक्षा नहीं की गई थी, भी दावा याचिका को खारिज करने का आधार नहीं है क्योंकि इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि मृतक केवल एक चौकीदार था, एक बड़ा परिवार बनाए रखता था और इस प्रकार, एक बहुत गरीब आदमी था और अपीलकर्ताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए , उनसे दावा याचिका के प्रयोजनार्थ कोई भी पोस्टमार्टम परीक्षा न कराने के परिणामों की कल्पना करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। विशेष रूप से, जब मृतक के पांच महीने के इलाज के आघात से गुजरने के बाद, उन्होंने परिवार में एकमात्र कमाने वाले को खो दिया। इसलिए, केवल यह कि पोस्टमार्टम परीक्षा नहीं की गई थी , आकस्मिक चोटों

के कारण और प्रभाव को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसका अर्थ है मृतक की मौत।

(पैरा 29)

इसके अलावा, यह माना गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुआवजे के पुरस्कार को अप्रत्याशित लाभ के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही, अधिनियम के तहत दावा याचिकाओं पर निर्णय लेते समय एक व्यावहारिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। संतुलन बनाए रखने के लिए, थोड़ी अधिक संवेदनशीलता है। इन मामलों से निपटने के दौरान न्यायाधिकरणों से अपेक्षित है, जहां पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं जिसके परिणामस्वरूप शरीर के अंग (ओं) की हानि हुई है या जीवन की हानि हुई है और तकनीकी रूप से कल्याणकारी कानून को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अन्यथा, कानून के मूल्यवान टुकड़े का उद्देश्य होगा ओटिओस के रूप में प्रस्तुत किया गया।

(पैरा 30)

अश्वनी गौड़, अधिवक्ता, *अपीलकर्ताओं के लिए*।

दिनांक 18.02.2014 के आदेश के तहत प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की सेवा से छूट दी गई है।

प्रतिवादी नंबर 3/बीमा कंपनी के लिए कोई नहीं।

जस्टिस महाबीर सिंह सिंधू,

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षिप्त 'अधिनियम' के लिए) की धारा 173 के तहत मोटर वाहन

अधिनियम, 1988 (संक्षिप्त 'अधिनियम') की धारा 173 के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सोनीपत (*संक्षेप में ट्रिब्यूनल)* द्वारा पारित दिनांक 24.07.2009 *के* विवादित फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसके माध्यम से, 16.07.2007 को एक मोटर-वाहन दुर्घटना में रमेश कुमार *(इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित)* को हुई चोटों के संबंध में दावेदारों/अपीलकर्ताओं (संक्षिप्त *'अपीलकर्ताओं' के लिए)* को 37,400/- रुपये का पुरस्कार दिया गया है, जिनकी बाद में 16.12.2007 को मृत्यु हो गई।

2. अपीलकर्ता विधवा हैं; चार बेटियां और एक नाबालिग बेटा। प्रतिवादी नंबर 1-शमशेर सिंह ड्राइवर है; प्रतिवादी नंबर 2- मालिक और प्रतिवादी नंबर 3 बीमा कंपनी है /

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 16.07.2007 को, मृतक अपने मोटर साइकिल पर पंजीकरण संख्या एचआर-9एसएल-4973 पर अपने रिश्तेदार की मृत्यु समारोह में भाग लेने के लिए बिधलान गांव में जा रहा था। उसका चचेरा भाई बिजेनडेर भी एक कार में मृतक का पीछा कर रहा था और जब वे सेहरी गांव को पार कर गांव बिधलान की ओर जाने वाली सड़क के पास पहुंचे, तो एक पीले रंग की स्कूल बस जिसका पंजीकरण संख्या एचआर था-69- 3112 *(जिसे इसके बाद 'अपमानजनक बस'* कहा गया है*),* जिसे रेस्पोनंबर 1 ने बहुत तेज और लापरवाही से चलाया था, विपरीत दिशा से आया और मृतक की मोटर-साइकिल से टकरा गया। नतीजतन, वह सड़क पर अपनी मोटर-साइकिल के साथ गिर गया और दाहिने पैर, दाहिने हाथ, सिर में चोट औरशरीर के अन्य हिस्सों पर चोट लगी। इसके बाद, उन्हें सोनीपत के सिविल अस्पताल में उनके चचेरे भाई बिजेंद्र ने अपनी कार में ले जाया और प्राथमिक उपचार दिया। चोटों की गंभीरता को देखते हुए, सिविल अस्पताल, सोनीपत के डॉक्टर ने उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज *(संक्षेप में 'पीजीआईएमएस'*), रोहतक में रेफर कर दिया, लेकिन उन्हें पास्चामी अस्पताल, दिल्ली में भर्ती कराया गया और भर्ती किया गया तक इस अवधि के दौरान, उनका ऑपरेशन किया गया और क्रश इंजरी के कारण उनके पैर में इंटरलॉकिंग कील इंजेक्ट की गई, लेकिन सिर की चोट घातक साबित हुई और अंततः 16.12.2007 को उनकी मृत्यु हो गई।

4. यह माना जाता है कि अपनी मृत्यु तक, मृतक एक बहिरंग रोगी के रूप में लगातार रहा और इस अवधि के दौरान, उसके उपचार, परिवहन, दवाओं, परिचारक, विशेष आहार और डॉक्टर शुल्क आदि पर 2,00,000 (दो लाख) की राशि खर्च की गई । पहली बार में, वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया और बाद में, प्रतिवादी नंबर 1- शमशेर सिंह द्वारा तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटना में उसे लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार, सभी प्रतिवादियों पर मुआवजे के लिए उत्तरदायी होने का आरोप लगाया गया।

5. नोटिस पर, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने संयुक्त लिखित बयान दायर किया और प्रारंभिक आपत्तियां उठाते हुए दावा याचिका की सामग्री से इनकार किया कि रमेश कुमार (मृतक) की मौत सड़क किनारे दुर्घटना के कारण नहीं हुई जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है। योग्यता के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 मध्यम गति से आपत्तिजनक बस चला रहा था और मृतक खुद दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था क्योंकि वह सड़क के मोड़ पर अपनी मोटरसाइकिल को नियंत्रित नहीं कर सकता था। आय, उम्र और व्यवसाय से भी इनकार किया जाता है और अंततः प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 के साथ अपराध का बीमा किया गया है और इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

6. प्रतिवादी संख्या 3 ने अलग से जवाब दायर किया और बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन, पक्षकारों के गलत जोड़ी/गैर-जॉइंडर के साथ-साथ उल्लंघन करने वाली बस के साथ दुर्घटना के तथ्य सहित प्रारंभिक आपत्तियां उठाते हुए दावा याचिका का विरोध किया । इस बात से भी इनकार किया कि प्रतिवादी नंबर 1 के पास दुर्घटना के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ रूट परमिट भी था। गुण-दोष के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 3 ने दावा याचिका की सामग्री से इनकार कर दिया, जिसमें आयु, मृतक की आय या अपीलकर्ताओं ने उपचार, दवाओं आदि सहित विभिन्न मामलों पर 2,50,000 /

7. दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे: -

I. क्या रमेश कुमार की मौत के परिणामस्वरूप हुई दुर्घटना प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा बस नंबर एचआर-69-3112 की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी , जैसा कि आरोप लगाया गया है? विरोधी॥

II. क्या याचिकाकर्ता मुआवजा पाने के हकदार हैं, यदि हां, तो किस राशि तक और किससे? ओपीपी।

III. क्या प्रतिवादी नंबर 1 दुर्घटना के समय वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता था और बीमित व्यक्ति ने बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया था, जैसा कि आरोप लगाया गया है , यदि ऐसा है तो किस प्रभाव के लिए? ओपीआर-3।

IV. मदद।

8. अपने मामले को साबित करने के लिए, दावेदारों/अपीलकर्ताओं ने डॉ. आदर्श शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, गोहाना से पीडब्लू-1 के रूप में जांच की;ओमबीर सिंह, रिकॉर्ड-कीपर, पश्चिमी अस्पताल, नई दिल्ली PW-2 के रूप में; प्रवीण कुमार, क्लर्क, पस्चिमी मेडिकोज PW- 3 के रूप में; संदीप, शिक्षक, एम.सी. प्राथमिक विद्यालय, मंगोल पुरी पीडब्लू -4 के रूप में; पीडब्लू -5 के रूप में बिजेंद्र और पीडब्लू -6 के रूप में श्रीमती संतोष (अपीलकर्ता नंबर 1) और दस्तावेजी साक्ष्य पूर्व पी -1 से पूर्व पी -21 और मार्क-ए से एम आर्क-सी का उत्पादन किया।

9. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने Ex.R-1 (प्रतिवादी नंबर 1 का ड्राइविंग लाइसेंस) और Ex.R-2 (बीमा पॉलिसी की प्रति) के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

10. पीडब्लू-1, डा आदर्श शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, गोहाना ने *अन्य बातों के साथ-साथ* गवाही दी कि दिनांक 16-7-2000 को जब वह जनरल अस्पताल, सोनीपत में तैनात थे, तब रमेश की 48 वर्ष की आयु की खोपड़ी के बाएं ललाट क्षेत्र पर कथित घाव के साथ चिकित्सा-कानूनी जांच की गई थी, जो ताजा रक्तस्राव के साथ हड्डी गहरी थी; दाहिने निचले पैर पर कुचल हुआ घाव, ताजा रक्तस्राव के साथ गहरी हड्डी; दाएं हंसली क्षेत्र के सामने लाल रंग का घर्षण और कलाई के पास दाहिने अग्र-हाथ पर घर्षण घर्षण। सोनीपत के सेक्टर 14 स्थित भारत अस्पताल में मरीज का प्राथमिक उपचार किया गया। उन्होंने विशेष रूप से गवाही दी कि घायल को सड़क किनारे दुर्घटना के कथित इतिहास के साथ लाया गया था और मेडिको लीगल रिपोर्ट (Ex.P-1) पेश की और विशेष रूप से गवाही दी कि चोट नंबर 1 और 2 जीवन के लिए घातक हो सकती है ।

11. पीडब्लू 2-ओमबीर सिंह, रिकार्ड कीपर, पश्चिमी अस्पताल ने गवाही दी कि रमेश कुमार को 16-07-2007 को उनके अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 19-07-2007 को छुट्टी दे दी गई थी और वहां उनका ऑपरेशन किया गया था। उन्होंने अस्पताल बिल को एक्सपी-2 और डिस्चासरज समरी ऑफ डिटेवर्स को एक्सपी-3 के रूप में पेश किया।

12. पीडब्लू 3-प्रवीण कुमार, क्लर्क, पस्चिमी मेडिकोस, पस्चिमी अस्पताल, दिल्ली ने मेडिकल बिल (Ex.P-4 से Ex.P-18), कुल 18,387/- रुपये (लगभग) का उत्पादन किया और गवाही दी कि ये बिल उनके मेडिकल स्टोर द्वारा रोगी के नाम पर जारी किए गए हैं और वह इन बिलों का मूल रिकॉर्ड लाए।

13. जिरह के दौरान, इस गवाह ने कहा कि पस्चिमी मेडिकोज पस्चिमी अस्पताल का हिस्सा है और

उसके द्वारा मेडिकल बिल जारी किए गए हैं ।

14. पीडब्लू 4-संदीप, एमसी प्राइमरी स्कूल, ए ब्लॉक, मंगोलपुरी, दिल्ली में शिक्षक, स्कूल का वेतन रजिस्टर लाया और गवाही दी कि मृतक उनके स्कूल में चौकीदार के रूप में काम कर रहा था और अपना वेतन प्रमाण पत्र (एक्स.पी.-19) प्रस्तुत किया, जो मृतक की कुल मासिक राशि 7061/- रुपये दर्शाता है।

15. प्रतिपरीक्षा के दौरान, इस गवाह ने कहा कि उनके स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा वेतन प्रमाण पत्र जारी किया गया है और मृतकों की सेवाओं की पुष्टि अप्रैल, 2004 में की गई थी।

16. पीडब्लू 5-बिजेन्द्र ने गवाही दी कि 16-7-2007 को लगभग 630 बजे वह बिधलान गांव जा रहा था और उसने दावा याचिका में कथित रूप से दुर्घटना का पूरा विवरण सुनाया कि मृतक को विभिन्न चोटें आईं और वह सड़क पर गिर गया और उसके बाद उसे भारत अस्पताल, सोनएपाट को कार में और उसके बाद सिविल अस्पताल ले जाया गया उन्होंने आईपीसी की धारा 279 और 337 , आईपीसी के तहत दिनांक 17-07-2007 की एफआईआर संख्या 133 की प्रति एक्सपी-20 के रूप में प्रस्तुत की है।

17. जिरह के दौरान, इस गवाह ने इस बात से इनकार कर दिया कि दुर्घटना मृतक- रमेश की गलती के कारण हुई थी या वह मौके पर मौजूद नहीं था।

18. पीडब्लू 6-संतोष (अपीलकर्ता नंबर 1) ने गवाही दी कि उसका पति 16.07.2007 को एक दुर्घटना का शिकार हो गया और 16.12.2007 को चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। फर्टने गवाही दी कि उनके पांच बच्चे हैं और सभी मृतक की आय पर निर्भर थे। साथ ही उसने अपने पति के इलाज पर करीब एक लाख रुपये और अंतिम संस्कार पर 25,000 रुपये खर्च किए।

19. जिरह के दौरान उसने बताया कि दो बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि अन्य बच्चे अविवाहित हैं। विशेष रूप से कहा गया है कि उसे अपने पति की मृत्यु के बाद कोई पेंशन लाभ नहीं मिला है क्योंकि उसकी मृत्यु के समय ऐसी कोई पेंशन योजना लागू नहीं थी। उसने इस बात से इनकार किया कि वह

मुआवजा पाने के लिए झूठी गवाही दे रही है ।

20. विद्वान अधिकरण अंक संख्या 1 पर निर्णय लेते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह स्थापित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलती करने वाली बस को लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटना हुई, लेकिन यह साबित नहीं हुआ है

इस दुर्घटना में प्राप्त चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हो गई और इस प्रकार, इस मुद्दे को आंशिक रूप से अपीलकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया, जबकि निम्नानुसार देखा : -

> "15. पूर्वगामी परिस्थितियों के मद्देनजर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि याचिकाकर्ता को घायल होने वाली दुर्घटना प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा बस नंबर एचआर-69-3112 के तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी , लेकिन यह साबित नहीं होता है कि मृतक की मौत इन चोटों के कारण हुई थी दुर्घटना में प्राप्त हुआ। इसलिए, इस मुद्दे को आंशिक रूप से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तय किया गया है।

21. ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी के खिलाफ इश्यू नंबर 3 का फैसला करते हुए कहा कि बीमाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी नंबर 1 के पास उस समय वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था दुर्घटना का।

22. निर्गम संख्या 2 पर निर्णय लेते समय अधिकरण ने पाया कि मृतक रमेश कुमार के उपचार पर चिकित्सा व्यय के रूप में कुल 18,400/- रुपये और विशेष आहार, परिवहन और परिचर प्रभार के लिए 5000/- रुपये खर्च किए गए थे। मृतक का वेतन 7061/- रुपये प्रतिमाह पाया गया और उस अवधि के लिए आय की हानि के लिए 14,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई, जब मृतक अस्पताल में भर्ती रहा। इस प्रकार , याचिका दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक प्रति वर्ष @ 7.5% ब्याज के साथ अपीलकर्ताओं के पक्ष में 37,400/- रुपये की कुल राशि प्रदान की गई थी।

23. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ट्रिब्यूनल ने कानून की गंभीर त्रुटि

की है, जैसा कि हम तथ्यों के रूप में मुद्दे संख्या 1 पर निष्कर्षों को दर्ज करते समय इस आशय के लिए करेंगे कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना में उसके द्वारा की गई चोटों के कारण नहीं हुई थी । आगे तर्क दिया गया कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जो यह साबित करने के लिए कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना में उसे लगी चोटों के कारण और प्रभाव के लिए हुई थी, जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संचालित अपमानजनक बस के कारण हुई थी और इस तरह, अंक संख्या 1 को पूरी तरह से तय किया जाना चाहिए था अपीलकर्ताओं के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ। यह भी तर्क दिया कि मृतक की उम्र, आय और असामयिक मृत्यु को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता ***सरला वर्मा (श्रीमती)*** और अन्य *बनाम* ***दिल्ली परिवहन निगम और अन्य***[1] और ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** *में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर मुआवजे में वृद्धि के हकदार हैं* *बनाम* ***प्रणय*** सेठी और अन्य[2].

24.अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना और पेपर-बुक का अवलोकन किया ।

25. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलती करने वाली बस के तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना में हुई उम्र, आय और चोटों के तथ्य विधिवत सिद्ध होते हैं। प्रतिवादियों ने न तो कोई ठोस अपील दायर की है; न ही उपर्युक्त निष्कर्षों के विरुद्ध प्रति-आपत्तियां दायर की हैं। यहां तक कि उन्होंने इस मामले की सुनवाई के समय वर्तमान अपील का विरोध करने का विकल्प नहीं चुना है, इसलिए इस आशय के निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है।

26. वर्तमान अपील में निर्धारण के बिंदु हैं: -

(i) क्या मृतक की मृत्यु 16-12-2007 को हुई मोटर-वाहन दुर्घटना में 16-07-2007 को हुई थी, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चलाई जा रही गलती बस के कारण हुई थी या

नहीं?"

(ii) यदि पूर्वोक्त बिंदु सकारात्मक साबित हो जाता है, तो वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपीलकर्ता किस 'न्यायसंगत मुआवजे' के हकदार हैं ?

27. यह रिकॉर्ड पर विधिवत साबित होता है कि प्रश्नगत दुर्घटना के संबंध में, प्रतिवादी नंबर 1- चालक के खिलाफ दिनांक 17.07.2007 को एक एफआईआर संख्या 133 दर्ज की गई थी और पुलिस द्वारा जांच के बाद, सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पीडब्लू 1-डा आदर्श शर्मा मेडिकोलीगल ने 16-7-2007 को मृतक की जांच की और एमएलआर (एक्सपी-1) के अनुसार, उन्होंने उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं;

5. आकार 7x1 सेमी का लेसरेटेड घाव। खोपड़ी के बाएं ललाट क्षेत्र में, ताजा रक्तस्राव के साथ गहरी हड्डी।

6. 10x8 सेमी आकार का कुचल घाव दाहिने निचले पैर पर, ताजा रक्तस्राव के साथ गहरी हड्डी।

7. 4x3 सेमी आकार के दाएं हंसली क्षेत्र के सामने लाल घर्षण।

8. 3x2 सेमी आकार का घर्षण घर्षण। कलाई के पास दाहिने अग्रभाग पर।

28. चोटों के अवलोकन संख्या 1 और 2 से पता चलता है कि ये हैं खोपड़ी के बाएं ललाट क्षेत्र के साथ-साथ दाहिने निचले पैर पर लैकरेटेड और कुचल घाव , ताजा रक्तस्राव के साथ गहरी हड्डी। पीडब्लू 1-डॉ. आदर्श शर्मा ने आगे गवाही दी कि दाहिने हंसली क्षेत्र के सामने एक लाल रंग का घर्षण था और कलाई के पास दाहिने अग्रभाग पर घर्षण था और घायल सड़क किनारे दुर्घटना के कथित इतिहास के साथ लाया गया था। इस गवाह ने विशेष रूप से गवाही दी कि चोट नंबर 1 और 2 जीवन के लिए घातक हो सकती है। यहां तक कि विद्वान ट्रिब्यूनल ने पाया कि चोटें विधिवत साबित हुईं और उनकी

राय थी कि ये चोटें जीवन के लिए घातक हो सकती हैं। इसके बावजूद, ट्रिब्यूनल ने इस निष्कर्ष को दर्ज किया कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना में प्राप्त इन चोटों के कारण हुई थी।यह दर्ज करने की आवश्यकता है कि पीडब्लू 1-डॉ. आदर्श शर्मा ने अपनी गवाही में विशेष रूप से गवाही दी कि "*चोट संख्या 1 और 2 जीवन के लिए घातक हो सकती है और न ही कोई सुझाव है; न ही प्रतिवादियों* द्वारा *इसके विपरीत* कोई *अन्य सामग्री प्रस्तुत* की गई, इसलिए, विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा इस आशय के निष्कर्ष दर्ज किए गए कि मृतक की मृत्यु उसके *द्वारा की गई* चोटों के कारण नहीं हुई 16-07-2007 को ये धारणीय नहीं हैं और इन्हें उलटा किया जाना चाहिए। इस न्यायालय की राय में, पीडब्लू 1-डॉ आदर्श शर्मा की गवाही, इस तथ्य के साथ युग्मित है कि अपीलकर्ताओं के सर्वोत्तम प्रयासों के साथ मृतक का लगभग पांच महीने तक लगातार इलाज किया गया और इसका खंडन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। अपीलकर्ताओं की ओर से कोई चूक हुई थी या उपचार के लिए घायल हुआ था, अकाट्य निष्कर्ष यह है कि मृतक की मृत्यु 16.07.2007 को उसके द्वारा आकस्मिक चोटों के कारण और प्रभाव के कारण हुई थी , जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से चलाई गई बस के कारण हुई थी और अंक संख्या 1 पर विद्वान न्यायाधिकरण को उस सीमा तक उलट दिया गया है।

29.अधिनियम के तहत एक दावा याचिका में, इसे आपराधिक मुकदमे की तरह नहीं माना जाना चाहिए, जहां उचित संदेह से परे आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है, बल्कि इन मामलों में, संभावनाओं की प्रधानता देखी जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मृतक को सिर की चोट सहित विभिन्न चोटों का सामना करना पड़ा और लगभग पांच महीने तक बिना किसी चूक के उसका लगातार इलाज चल रहा था और अंततः, मृत्यु हो गई तो मृत्यु को आकस्मिक चोटों के साथ सुरक्षित रूप से सह-संबंधित किया जा सकता है क्योंकि दावा याचिका में, गलत कर्ता नहीं है ट्रिब्यूनल द्वारा दोषसिद्धि दी जाए। ट्रिब्यूनल की यह टिप्पणी कि इस मामले में कोई पोस्टमार्टम परीक्षा नहीं की गई थी, भी दावे को खारिज करने का आधार नहीं है क्योंकि इस

मामले के तथ्यों से पता चलता है कि मृतक केवल एक चौकीदार था, एक बड़े परिवार का पालन-पोषण करता था और इस प्रकार, एक बहुत गरीब आदमी था और अपीलकर्ताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उनसे कल्पना करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है दावा याचिका के प्रयोजन के लिए किसी भी पोस्टमार्टम परीक्षा का आयोजन न करने के परिणाम। विशेष रूप से, जब मृतक के पांच महीने के उपचार के आघात से गुजरने के बाद, उन्होंने परिवार में एकमात्र कमाने वाले को खो दिया। इसलिए, केवल यह कि पोस्टमार्टम परीक्षा नहीं की गई थी, आकस्मिक चोटों के कारण और प्रभाव को पहचानने का आधार नहीं हो सकता है , जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। उपरोक्त के मद्देनजर, बिंदु संख्या 1 अपीलकर्ताओं के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ तय किया जाता है।

बिंदु संख्या II

30.इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुआवजा बहुत अधिक नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही , अधिनियम के तहत दावा याचिकाओं पर निर्णय लेते समय एक व्यावहारिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । संतुलन बनाए रखने के लिए, इन मामलों से निपटने के दौरान ट्रिब्यूनल से थोड़ी अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप शरीर के अंगों की हानि हुई है या जीवन की हानि हुई है और तकनीकी रूप से कल्याणकारी राज्य में लाभकारी कानून को छाया देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अन्यथा, विधान के मूल्यवान भाग का मूल उद्देश्य ओटिओस के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस मामले में, विद्वान अधिकरण ने कुल 37,400/- रुपए का मुआवजा प्रदान किया है और जो टिकाऊ नहीं है और इसमें वृद्धि किए जाने योग्य है। दुर्घटना की तारीख को, मृतक की आयु लगभग 48 वर्ष थी और उसकी मासिक आय भी वेतन प्रमाण पत्र (एक्स.पी.-19) के माध्यम से 7061/- रुपये साबित हुई थी और वह नियमित आधार पर चौकीदार के रूप में काम कर रहा था। यह भी विधिवत साबित हो गया है कि दुर्घटना के समय और साथ ही उसकी मृत्यु की तारीख पर, मृतक पर

कुल छह आश्रित थे और ***सरला वर्मा*** के मामले (सुप्रा) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, 1/4 कटौती मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए की जानी है और 13 का गुणक आकर्षित किया जाता है। फिर भी, ***प्रणय सेठी*** के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, अपीलकर्ता भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ अन्य पारंपरिक प्रमुखों यानी संपत्ति की हानि , कंसोर्टियम की हानि और अंतिम संस्कार के खर्चों के तहत मुआवजे के लिए 30% अतिरिक्त के हकदार हैं।

31. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुआवजे की निम्नलिखित राशि रमेश कुमार की मृत्यु के कारण "उचित मुआवजा" होगी, जिसके लिए अपीलकर्ता हकदार हैं: -

क्रमांक नहीं।	**सिर**	**गणना**
(मैं)	मृतक की मासिक आय	रु. 7061
(द्वितीय)	मृतक की वार्षिक आय	Rs.7061 x 12 = Rs.84,732
(iii)	व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटा गया (ii) का 1/4वां	रु.84,732 - रु.21,183 = रु.63,549
(चतुर्थ)	भविष्य की संभावनाओं के लिए 30% की वृद्धि	63,549 रुपये + 19,064 रुपये = 82,613 रुपये

(v)	मृतक की शुद्ध वार्षिक आय	रु.82,613
(vi)	गुणक	13
(सातवीं)	निर्भरता का कुल नुकसान	रु.82,613 x 13 = रु. 10,73,969
(आठवीं)	वास्तविक चिकित्सा व्यय	रु.18,400
(ix)	संपत्ति के नुकसान के लिए	रु.15,000
(एक्स)	कंसोर्टियम के नुकसान के लिए	40,000 रु
(ग्यारहवीं)	अंतिम संस्कार के खर्च के लिए	रु.15,000
	कुल मुआवजा	**रु.11,62,369**

32. उपर्युक्त के मद्देनजर, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 24-07-2009 के आक्षेपित अधिनिर्णय को संशोधित किया जाता है और मुआवजे की राशि 37,400/- रुपए से बढ़ाकर 11,62,369/- रुपए कर दी जाती है ।

33. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलकर्ताओं को भुगतान की गई मुआवजे की राशि को समायोजित किया जाएगा और शेष शेष राशि का भुगतान उसी अनुपात में किया जाएगा, जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया था, इसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश।

[1] (2009) 6 एससीसी 121

[2] (2017) 16 एससीसी 680

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा